



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264796
CG-DL-E-18072025-264796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3245]
No. 3245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना (संशोधन)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3318(अ).—पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम

1. पीएम इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम, जिसे दिनांक 29 सितंबर, 2024 को भारी उद्योग मंत्रालय के सां.आ. 4259 (अ) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, के आंशिक आशोधन में निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं जो सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे:-

2. पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत पात्रता हेतु ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के संबंध में, अधिसूचना के संलग्नक-6 को अनुलग्नित संलग्नक-6 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

संलग्नक – 6

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत पात्रता हेतु इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)

क्रम सं .	ईवीपीसीएस पीएमपी घटक विवरण	कार्यान्वयनतिथि	पीएमपी अपेक्षा
1	चार्जर एनक्लोजर/पैनल	क	चार्जर एनक्लोजर/पैनल का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं: शीट मेटल प्रेसिंग, पाउडर कोटिंग, पेंटिंग, कटिंग, वेल्डिंग, दरवाजे का फिटमेंट, कब्जे, ग्रास्केट लगाना, माउंटिंग रैक्स / प्लेट्स का फिटमेंट और कनेक्टर।
2	इंटरनल वायरिंग हार्नेस	क	इंटरनल वायरिंग हार्नेस का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं-केबल ट्रे, डीआईएन रेल, इन्सुलेशन, तार, कनेक्टर, सुरक्षात्मक स्लीव आदि।
3	आईएस/आईईसी 60309 कनेक्टर	क	आईएस/आईईसी 60309 कनेक्टर का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं: कनेक्टर हाउसिंग मोल्डिंग और कांटेक्ट पिन फिटमेंट।
4	ओसीपीपी और सीएमएस (सेंट्रलसर्वर) के लिए सॉफ्टवेयर/मोबाइल एप्लीकेशन	क	यह प्रदर्शित किया जाएगा कि सॉफ्टवेयर स्वदेशी रूप से विकसित है तथा स्वदेशी स्रोत कोड विकास प्रक्रिया / कार्य का प्रदर्शन किया जाएगा।
5	सहायक विद्युत आपूर्ति, एसएमपीएस	च	सहायक विद्युत आपूर्ति, एसएमपीएस का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं: पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों की असेंबली, वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट और सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग।
6(क)	एसी ऊर्जा मीटर	ख	एसी ऊर्जा मीटर का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं-पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों की असेंबली, वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट तथा एनक्लोजर फिटमेंट और सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग।
6(ख)	डीसी ऊर्जा मीटर	च	डीसी ऊर्जा मीटर का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं: पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों की असेंबली, वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट और एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्म वेयर फ्लैशिंग।
7(क)	आर एफ आई डी	ख	आरएफआईडी का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं: पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों की असेंबली, वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, एंटीना फिटमेंट और एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्म वेयर फ्लैशिंग।
7(ख)	एचएमआई/डिस्प्ले	च	एचएमआई/डिस्प्ले का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं : संयोजित इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी(पीसीबीए), एलसीडी / एलईडी डिस्प्ले फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक

			फिटमेंट तथा एनक्लोजर फिटमेंट और सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग का समेकन।
8	इनपुट स्विच गियर्स जैसे आरसीडी, फ़्यूज़, एसपीडी, एमसीबी, एमपीसीबी आदि।	ख	इनपुट स्विच गियर्स का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम निम्नांकित हाउसिंग, एनक्लोजर, स्कू, तार, कॉइल, धातु / चुंबकीय पट्टियां, ऑपरेटिंग हैंडल की असेंबली शामिल है।
9(क)	आउटपुट स्विच गियर - एसी कान्टैक्टर	ख	आउटपुट स्विच गियर एसी का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं: हाउसिंग, एनक्लोजर, स्कू, तार, कॉइल, धातु/ चुंबकीय पट्टियां और ऑपरेटिंग हैंडल।
9(ख)	आउटपुट स्विच गियर्स जैसे डीसी कॉन्टैक्टर, रिले, वोल्टेज/करंट आइसोलेटर, फ़्यूज़ आदि।	च	आउटपुट स्विच गियर्स डीसी का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं-आवास, एनक्लोजर, स्कू, तार, कॉइल, धातु / चुंबकीय स्ट्रिप्स और ऑपरेटिंग हैंडल की असेंबली।
10(क)	एसी चार्जिंग गन-टाइप 2	ग	एसी चार्जिंग गन- टाइप 2 का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं - कनेक्टर हाउसिंग फिटमेंट और कान्टैक्ट पिन फिटमेंट तथा केबल समेकन।
10(ख)	डीसी चार्जिंग गन- सीसीएस 2	घ	डीसी चार्जिंग गन सीसीएस2 का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं- कनेक्टर हाउसिंग फिटमेंट और कान्टैक्ट पिन फिटमेंट तथा केबल समेकन।
11	चार्जर कंट्रोलर्स: इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स फॉरकम्यूनिकेशन विद ईवी, चार्ज कंट्रोल, बैकएंड कम्यूनिकेशन और अन्य कार्य	घ	चार्जर कंट्रोलर्स का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं- पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों की असेंबली, वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट और एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग।
12	पावर इलेक्ट्रॉनिक्स / पावर माँड्यूल (एसी से डीसी कनवर्टर)	छ	एसी से डीसी कनवर्टर का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा जिसमें न्यूनतम निम्नांकित शामिल हैं- पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों की असेंबली, वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट और एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग।

कोड	ईवीपीसीएस पीएमपी घटकों के स्वदेशीकरण की प्रभावी तिथि
क	1दिसंबर 2021से प्रभावी
ख	1जुलाई 2022से प्रभावी
ग	1जनवरी 2023से प्रभावी
घ	1जून 2024से प्रभावी
ङ	1दिसंबर 2024से प्रभावी
च	1जून 2025से प्रभावी
छ	1दिसंबर 2025से प्रभावी

ईवीपीसीएस पीएमपी की अतिरिक्त शर्तें

- 1) ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन(ईवीपीसीएस) पीएमई-ड्राइव योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक लॉट की आपूर्ति के समय उपर्युक्त अनुसार क्रयादेश की तिथि को लागू पीएमपी का अनुपालन करना होगा।

- 2) ईवीपीसीएस आईएस:17017 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार तकनीकी आवश्यकताओं का भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा यथा परीक्षित और प्रमाणित अनुसार अनुपालन करेगा।
- 3) सीकेडी स्वरूप में (एकल आपूर्तिकर्ता से) ईवीपीसीएस पीएमपी घटकों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4) “विनिर्माण” की परिभाषा सीजीएसटी अधिनियम 2017में यथा परिभाषित अनुसार होगी।
- 5) यह पीएमपी फेम-II स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) पर भी लागू है जिनकी आपूर्ति की जानी शेष है।

[फा. सं. 24(2)/ पीएमइडी/2024- एडआई (29903)]

डॉ हनीफ़ कुरैशी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES (MHI)

NOTIFICATION (AMENDMENT)

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3318(E).— PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme

1. In partial modification of the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme which was notified by Ministry of Heavy Industries vide S.O.4259 (E) dated 29th September 2024, the following amendments are made with effect from date of its publication in the Official Gazette: -

2. Annexure-6 of the notification, regarding Phased Manufacturing Programme (PMP) for EV Public Charging Stations for eligibility under PM E-DRIVE scheme is replaced with attached Annexure-6.

Annexure-6

Phased Manufacturing Programme (PMP) for EV Public Charging Stations (EVPCS) for eligibility under PM E-DRIVE Scheme.

Sr. No.	EVPCS PMP Component Description	Implementation Date	PMP Requirement
1	Charger Enclosure/Panels	A	Manufacturing of Charger Enclosure / Panels which at least includes sheet metal pressing, powder coating, painting, cutting, welding, fitment of door, hinges, gaskets, fitment of mounting racks/ plates, connectors, shall be domestically performed.
2	Internal Wiring Harness	A	Manufacturing of Internal Wiring Harness which at least includes fitment of cable trays, DIN rail, insulation, wires, connectors, protective sleeves shall be domestically performed.
3	IS/IEC 60309 Connector	A	Manufacturing of IS/IEC 60309 connector which at least includes connector housing moulding, contact pin fitment shall be domestically performed.
4	Software/Mobile Application for OCPP and CMS (Central Server)	A	It shall be demonstrated that the software is indigenously developed, and indigenous source code development process / activity shall be demonstrated.
5	Auxiliary Power Supply, SMPS	F	Manufacturing of Auxiliary Power Supply, SMPS which at least includes assembly of electronic components/ semiconductors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
6(a)	AC Energy Meter	B	Manufacturing of AC Energy Meter which at least includes assembly of electronic components/semiconductors on the

			PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
6(b)	DC Energy Meter	F	Manufacturing of DC Energy Meter which at least includes assembly of electronic components/semiconductors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
7(a)	RFID	B	Manufacturing of RFID which at least includes assembly of electronic components/semiconductors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, antenna fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
7(b)	HMI/Display	F	Manufacturing of HMI/Display which at least includes integration of assembled electronic PCB (PCBA), LCD/LED display fitment, wiring, connector fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
8	Input Switchgears like RCD, Fuses, SPD, MCB, MPCB etc.	B	Manufacturing of Input switchgears which at least includes assembly of housing, enclosure, screws, wires, coils, metallic/ magnetic strips, operating handle shall be domestically performed.
9(a)	Output Switchgear - AC Contactors	B	Manufacturing of Output switchgears AC at least includes housing, enclosure, screws, wires, coils, metallic/ magnetic strips, operating handle shall be domestically performed.
9(b)	Output Switchgears like DC Contactors, Relays, Voltage/Current Isolator, Fuses etc.	F	Manufacturing of Output switchgears DC at least includes assembly of housing, enclosure, screws, wires, coils, metallic/ magnetic strips, operating handle shall be domestically performed.
10(a)	AC Charging Gun – Type 2	C	Manufacturing of Charging Gun-Type 2 which at least includes connector housing fitment, contact pin fitment, cable integration shall be domestically performed.
10(b)	DC Charging Gun – CCS2	D	Manufacturing of DC Charging Gun CCS2 which at least includes connector housing fitment, contact pin fitment, cable integration shall be domestically performed.
11	Charger Controllers: Electronic Controllers for communication with EV, Charge Control, backend communication and other functions	D	Manufacturing of Charger Controllers which at least includes assembly of electronic components/ semiconductors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
12	Power Electronics/Power Modules (AC to DC Convertor)	G	Manufacturing of AC to DC Convertor which at least assembly of electronic components/semiconductors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.

Code	Effective date of indigenisation of EVPCS PMP components
A	w.e.f. 1 st December 2021
B	w.e.f. 1 st July 2022
C	w.e.f. 1 st January 2023
D	w.e.f. 1 st June 2024
E	w.e.f. 1 st December 2024
F	w.e.f. 1 st June 2025
G	w.e.f. 1 st December 2025

Additional Conditions of EVPCS PMP

1. EV Public Charging Station (EVPCS) shall comply with PMP as prevailing on the date of the purchase order as per above, at the time of supply of each lot being supplied under PM E-Drive Scheme.
2. EVPCS shall comply with the technical requirements as per IS:17017 (as amended from time to time), as tested and certified by the testing agency of MHI.
3. Import of EVPCS PMP components in CKD form (from single supplier) shall not be permitted.
4. Definition of “manufacture” shall be as defined in CGST Act 2017.
5. This PMP is also applicable to Electric Vehicle Public Charging Stations (EVPCS) under FAME-II Scheme which are yet to be supplied.

[F. No. 24(2)/PMED/2024-AEI(29903)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.